न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00072 **दायरा दिनांक : 25.08.2020**

उनवान

घनश्याम नाथ आत्मज श्री औगढ़नाथ, आयु 85 वर्ष, जाति नाथ, निवासी चन्द्रपुरा उर्फ नयागांव, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. चन्दा पुत्र बदरया, जाति सहरिया, निवासी फतेहपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. श्रवणी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
   1/2. शम्भू उम्र 45 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
   1/3. जयप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
   निवासीगण फतेहपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0).... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.09.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 79/2017 (115/2009) निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दूगैर, तहसील किशनगंज में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2013–2016 तक सैटलमेंट से पूर्व वादी के पिता ओगढ़नाथ पुत्र नेनगा नाथ, जाति नाथ के खाते व कब्जे काश्त की माफी टीड्डी राव की आराजी खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 13 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा अवस्थित है, जिसके बाद सैटलमेंट नये खाता संख्या नई 12 पुरानी 11 खसरा नम्बर 37 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा, ख़सरा नम्बर 113/122 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा कायम हुए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाता है। वादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना ही स्वयं उत्पन्न करें, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.12.2019 न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद बाबत खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा सरसरी तौर पर खारिज कर प्रतिवादी रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में यह निर्णित करने में कानूनी भूल की है कि प्रकरण में सैटलमेंट से पूर्व माफी चाकरी की भूमि थी जो माफी रिज्यूम होने के वक्त जो काबिज काश्त था उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, जिसका जमाबंदी संवत 2013–2016 में स्पष्ट नोट अंकित है, जो डिप्टी कलेक्टर जागीर, कोटा के पत्र संख्या 1237 दिनांक 28.02.1958 को खालसा की गई है, मानते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करके प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी टिड्डी चाल की भूमि है। सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादी के पिता का उक्त भूमि पर जैली काश्त के रूप में कब्जा था, इस कारण जागीर पुनग्रर्हण अधिनियम के तहत खातेदारी दी गई है। इस तथ्य को मानते हुए काउंटर क्लेम स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2017 की पालना में तहसीलदार किशनगंज से जांच रिपोर्ट मांगी गयी है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक कृत रामगढ़ द्वारा राजस्व रेकार्ड की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बदरिया को खातेदार कृषक घोषित करने का कोई आधार दस्तावेजों में नहीं पाया गया। इस अहम जांच रिपोर्ट पर ध्यान दिये बिना ही दावा खारिज कर काउंटर क्लेम स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि जमाबंदी सम्वत 2013–2016 में भूमि खालसा होने का नोट डिप्टी कलेक्टर जागीर, कोटा का वर्ष 1958 का अंकित है, भूमि खालसा होने के बाद भूमि आवंटन होना चाहिए व गैर खातेदार में दर्ज किया जाकर ही वाद में खातेदारी अधिकार प्रदान करना चाहिए था, जबकि सम्वत 2013–2016 व सम्वत 2016–2018 तथा सम्वत 2018–2020 में अपीलांट वादी के पिता ओगढीनाथ का नाम दर्ज रेकार्ड से साबित है, किन्तु सैटलमेंट के दौरान बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सीधे ही जैली काश्तकार का नाम आपसी मिली भगत कर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो नियमानुसार नहीं है व नियम विरूद्ध है। इस कारण वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय को स्वीकार कर वादी को खातेदार घोषित करने व प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज करना चाहिए था, ऐसा न करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पिता व उनकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मृत्यु के बाद अपीलांट ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है और वर्ष 1958 के पश्चात् कभी भी प्रतिवादी रेस्पोडेंट के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त नहीं रहा है। केवल मात्र सैटलमेंट के दौरान मिली भगत कर नाम दर्ज कराने का लाभ प्रतिवादी रेस्पोडेंट को नहीं मिल सकता है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 निरस्त किया जाकर अपीलांट वादी का वाद रेस्पोडेंट के खिलाफ डिक्री फरमाया जाकर व प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का काउंटर क्लेम खारिज करते हुए वादी अपीलांट को ग्राम दुगैर, तहसील किशनगंज, जिला बारां की खसरा नम्बर 13 की 16 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 की 11 बिस्वा कुल किता की 17 बीघा 8 बिस्वा जिसके बाद सैटलमेंट नये खसरा नम्बर 37 की 17 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 113/122 की 11 बिस्वा कुल दो किता की 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए भूमि रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते से हटा कर वादी के खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2019 को पारित किया है। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया, जिस पर दिनांक 13.03.2020 को नकल प्राप्त हुई। नकल लेकर अपीलांट अपने गांव चला गया। रूपयों का इंतजाम करने में व्यस्त हो गया और इसी मध्य दिनांक 22.03.2020 से कोरोना 19 महामारी के कारण लोक डाऊन लग जाने से अपील अवधि मध्य पेश की। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद ग्राम दुगेर, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नं0 37 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं. 113/122 रकबा 11 बिस्वा कुल दो किता रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा के बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 में उपखण्ड अधिकारी किशनगंज में पेश किया था जो प्रकरण सं० 115/2009 पर दर्ज हुआ। जिसका निर्णय दिनांक 09.04.2015 को उपखण्ड अधिकारी ने किया तथा अपीलान्ट का वाद खारिज करके रेस्पो० का काउन्टर क्लेम डिक्री किया अपीलान्ट ने उस वाद में यह डिग्री मांगी थी कि यह भूमि अपीलान्ट की है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से चन्दा पुत्र बदरियां, जाति सहरिया के नाम दर्ज कर दी उसका नाम खारिज करके वादी के नाम दर्ज करवायी जावे। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक अपील माननीय न्यायालय में पहले की थी जो इस न्यायालय में अपील सं० 94/2015 पर दर्ज हुई जो घनश्याम बनाम चन्दा के नाम थी

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिसका निर्णय माननीय न्यायालय ने 23.03.2017 को किया तथा अधिनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया था कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 09.04.2015 अपास्त किया जाता है प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशानिर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पेरा सं. 7 में किये गये विवेचन के अनुसार यह जांच करे कि वादग्रस्त भूमि मे बदरियां को खातेदारी किस प्रावधान के तहत किस अधिकारी के द्वारा दी गयी। तदोपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। इस पर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.03.2017 के आधार पर पेरा सं. 7 पर जांच हेतु तहसीलदार किशनगंज को तहरीर जारी की गयी। जिस पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत रामगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जो रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक रामगढ द्वारा दी गयी है वह पत्रावली में संलग्न है। जिसमे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि बदरियां को कब व कैसे खातेदारी अधिकार मिले इसका कोई उल्लेख नहीं है। आगे भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के पेरा नं. 9 मे स्पष्ट अंकन किया है कि बदरियां को खातेदारी अधिकार किन आधारों पर दिया इसका कोई अंकन नहीं है। बदरिया को खातेदारी किन नियमों के तहत दी गयी, इसके नतीजे पर हम नहीं पहुंच सके। संवत 2016–2035 के सेटलमेन्ट के समय सीधे ही बदरियां को खातेदार के रूप में अंकित किया हुआ है जो सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया गया है लेकिन किस आधार पर किया गया है इसका कोई अंकन नहीं है। इसलिये स्वयं बदरिया अथवा उसका लीगल प्रतिनिधि ही बता सकता है किन्तु न तो बदरिया उपस्थित हुआ और ना ही उसका कोई लीगल प्रतिनिधि हुआ। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने पूर्व में जो पत्रावली पेरा नं. 7 के आधार पर रिमाण्ड की थी तथा इस आधार पर तहसीलदार ने जो अपनी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक वृत रामगढ से मगंवायी है जो पत्रावली में शामिल है, उससे स्पष्ट है कि बदरिया को कौनसे अधिकारी ने किस नियम के तहत खातेदारी दी गयी है, यह स्पष्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि इस भूमि पर संम्वत् 2013–2016 में कृषक के विवरण वाले कालम में कब्जा ओगडनाथ बेटा नेनक नाथ, जाति नाथ, निवासी नयागांव चन्द्रपुरा दर्ज है तथा अपीलान्ट ओगडनाथ का पुत्र है तथा भूमि पर आज भी उसी का कब्जा है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह भूमि पूर्व में ओगडनाथ पुत्र नेनक नाथ कालम नं. 6 मे उपकाश्त के विवरण में ओगडनाथ का नाम दर्ज है। सम्वत् 2013 से 2016 की जमाबन्दी में कब्जा औगडनाथ पुत्र नेनका नाथ का दर्ज है तथा सम्वत् 2016 से 2018 सम्वत् 2018 से 2020 में भी औगडनाथ पुत्र नेनक नाथ खुद काश्त दर्ज है। इस प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट रेस्पो० के पक्ष में न होते हुये भी अपीलान्ट का वाद अधिनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसकी यह अपील पुनः अपीलान्ट को करनी पडी। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 26.12.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने की डिक्री पारित की जावे ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम दूगैर, तहसील किशनगंज की जमाबंदी संवत 2013 से 2016 की खाता सं. 49 खसरा नं. 13 रकबा 16.17 बीघा, खसरा नं. 101 रकबा 0.11 बीघा आराजी जिसके बाद सैटलमेंट खाता सं. नई 12 पुरानी 11 खसरा नं. 37 रकबा 17.02 बीघा, खसरा नं. 113/122 रकबा 0.11 बीघा कायम हुए है तथा यह आराजी सैटलमेंट से पूर्व तक वादी अपीलांट के पिता ओगढनाथ पुत्र नेनगानाथ के खाते व कब्जे काश्त में होने के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण दावा पेश किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2015 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया तथा प्रतिवादी नं. 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि प्रतिवादी के खाते एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 94/2015 पेश करने पर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2017 में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पैरा सं. 7 में किये गये विवेचन के अनुसार यह जांच करें कि वादग्रस्त आराजी में बदरिया को खातेदारी किन प्रावधानों के तहत किस अधिकारी के द्वारा दी गई। तदुपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने पत्र दिनांक 12.10.2017 एवं 23.08.2018 से तहसीलदार किशनगंज को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.03.2017 के पैरा कम 7 की पालना में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 14.06.2019 को भू अभिलेख निरीक्षक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वृत्त रामगढ द्वारा तैयार की गई मूल रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार किशनगंज से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बाद विवेचन वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया तथा प्रतिवादी कम 1 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है।

वादी अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र की मद नं. 1 में यह अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2013 से 2016 तक सैटलमेंट से पूर्व विवादित आराजी वादी के पिता ओगढनाथ पुत्र नेनगानाथ के खाते व कब्जे काश्त में रही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श पी–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 13 रकबा 14.09 बीघा, खसरा नं. 101 रकबा 0.11 बीघा माफी टीडीराव, कब्जा ओगढनाथ जैली भूरया सहर अंकित हैं। वादी अपीलांट द्वारा संवत 2013 से 2016 के पूर्व की कोई जमाबंदी या गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि संवत 2013 से पूर्व वादी अपीलांट के पिता का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा हो। सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2016 से 2035 प्रदर्श पी–2 के अनुसार खसरा नं. 37 रकबा 17.02 बीघा खसरा नं. 113/122 रकबा 0.11 बीघा आराजी बदरिया पुत्र भूरिया, जाति सहर, साकिन फतेहपुरा के खाते दर्ज है। वादी अपीलांट ने वादपत्र की मद नं. 1 में अंकित किया है कि खसरा नं. 13 रकबा 16.17 बीघा, खसरा नं. 101 रकबा 0.11 बीघा आराजी के सैटलमेंट बाद खसरा नं. 37 रकबा 17.02 बीघा एवं खसरा नं. 113/122 रकबा 0.11 बीघा कायम हुए हैं परन्तु वादी अपीलांट द्वारा अपने कथन को साबित करने हेतु मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह साबित नहीं होता कि गत खसरा नं. 13 एवं 101 के हाल खसरा नं. 37 एवं 113/122 बने हैं। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2018 एवं संवत 2018 से 2020 प्रदर्श पी–3, 4 को छोड़कर अन्य खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–5, 6, 7, 8, 9 में बदरया पुत्र भूरया का नाम दर्ज है। तत्पश्चात खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–10, 11, 12, 13 में चन्दा पुत्र बदरया का नाम दर्ज है। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त गिरदावरियों के अवलोकन अनुसार संवत 2016 से 2018 व 2018 से 2020 की गिरदावरी के अलावा अन्य सभी गिरदावरियों में बदरया एवं चन्दा का ही कब्जा काश्त साबित होता है। संवत 2016 से 2018 व 2018 से 2020 की जमाबंदी में भी जैली के रूप में बदरया का नाम दर्ज है।

तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के बिन्दु सं. 6 में यह अंकित है कि तहसील कार्यालय में मिसल बन्दोबस्त संवत 2016 से 2035 का अवलोकन किया गया जिसमें मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर अंकित नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2018 तथा संवत 2018 से 2020 में खसरा नं. 37 रकबा 17.02 बीघा, खसरा नं. 113/122 रकबा 0.11 बीघा कुल 17.13 बीघा पर कॉलम नं. 05 में (खातेदार/गैरखातेदार) माफी चाकरी टिड्डीदल ओगढनाथ पुत्र नेनगानाथ, नयापुरा चन्द्रपुरा दर्ज है तथा कॉलम नं. 06 (उपकाश्तकार का विवरण) खुद काश्त जैली

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बदरिया, बजरंगा, धन्ना, भेदमल पिसरान भूरया सहर दर्ज है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व खसरा नं. 13, 101 के हाले खसरा नं. क्रमशः 37, 113/122 ही है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अभाव में तहसीलदार का यह कथन विधि मान्य नहीं है। खसरा गिरदावरी के आधार पर कब्जे काश्त की पुष्टि होती है परन्तु विवादित आराजी गत एवं हाल खसरा नम्बर की पुष्टि केवल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेंट तैयार किये जाने वाले मिलान क्षेत्रफल के आधार पर ही विधि मान्य है।

प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068 प्रदर्श डी–33 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 37, 113/122 चंदा पुत्र बदरया, जाति सहरिया, सा. फतेहपुरा के खाते दर्ज रिकार्ड है। सहरिया जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह साबित नहीं होता कि हाल खसरा नं. 37, 113/122 गत खसरा नं. 13, 101 से बने हैं। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एक अनुसूचित जनजाति के खातेदार के खाते की आराजी पर वादी अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील के इस स्तर पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

घनश्याम नाथ आत्मज श्री औगढ़नाथ, आयु 85 वर्ष, जाति नाथ, निवासी चन्द्रपुरा उर्फ नयागांव, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. चून्दा पुत्र बदरया, जाति सहरिया, निवासी फतेहपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/1. श्रवणी बाई उम्र 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
1/2. शम्भू उम्र 45 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
1/3. जयप्रकाश उम्र 42 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दा, जाति सहरिया
निवासीगण फतेहपुर, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0).... रेस्पोडेंट

.... रेस्पोडेंट

अपील नं– 2020/00072
मु.द.नं0 79/2017/(115/2009)

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज
निर्णय व डिक्री दिनांक – 26.12.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 08 सन् 2025

श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2019 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 16 माह 09 सन् 2025 को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)